

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

- 1) उप रासायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक-संयुक्त खाद्य एवं औषधि, प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना।
- 2) निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
- 3) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
- 4) अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।
- 5) लोक विश्लेषक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर।
- 6) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, भोजपुर (आरा)।
- 7) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, मुंगेर।
- 8) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, सहरसा।
- 9) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, सारण (छपरा)।
- 10) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ।
- 11) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक : 27-4-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- N2210061070001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹2,40,42,040/- (दो करोड़ चालीस लाख बेयालीस हजार चालीस रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹2,40,42,040/- (दो करोड़ चालीस लाख बेयालीस हजार चालीस रुपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक-8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक-12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- N2210061070001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।
4. संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप रासायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पिलग्रीम अस्पताल, गया के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया/जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लोक विश्लेषक जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर एवं जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल भोजपुर (आरा)/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, मुंगेर/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, सहरसा/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, छपरा/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, पूर्णियाँ/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, मोतिहारी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक होंगे तथा सभी के नियंत्रि पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

क

27/4/12

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

7. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

8. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।


9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. वित्त विभागीय पत्रांक- 3833/वि0(2) दिनांक-02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011-12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,


(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक : 21(7)A

पटना, दिनांक : 27-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर,स्वास्थ्य/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित




27/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बिहार स्थित लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/पोषाक (13-06)	किराया महशूल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	कुल
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8									
1	संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना	1800000	1206000	270000	10000	12600	21600	3320200	5000	10000	1000	4500	20000	10000	3000	3373700
2	लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	1600000	1072000	240000	8500	11200	19200	2950900	5000	9000	1000	4000	0	4000	3000	2976900
3	जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया	1590000	1065300	238500	0	11130	19080	2924010	5000	9000	1000	3500	0	4000	3000	2949510
4	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर	800000	536000	120000	0	5600	9600	1471200	5000	9000	1000	3500	0	4000	3000	1496700
5	जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	1200000	804000	180000	0	8400	14400	2206800	5000	9000	1000	3500	0	4000	3000	2232300
6	सदर अस्पताल, भोजपुर	982000	657940	147300	0	6874	11784	1805898	5000	9000	1000	3500	0	4000	2500	1830898
7	सदर अस्पताल, मुंगेर	982000	657940	147300	0	6874	11784	1805898	5000	9000	1000	3500	0	4000	2500	1830898
8	सदर अस्पताल, सहरसा	981000	657270	147150	0	6867	11772	1804059	5000	9000	1000	3500	0	4000	2500	1829059
9	सदर अस्पताल, छपरा	1000000	670000	150000	0	7000	12000	1839000	5000	9000	1000	3500	0	4000	2500	1864000
10	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	981000	657270	147150	0	6867	11772	1804059	5000	9000	1000	3500	0	4000	2500	1829059
11	सदर अस्पताल, मोतिहारी	981000	657270	147150	0	6824	11772	1804016	5000	9000	1000	3500	0	4000	2500	1829016
	कुल	12897000	8640990	1934550	18500	90236	154764	23736040	55000	100000	11000	40000	20000	50000	30000	24042041

(दो करोड़ चालीस लाख ब्यालीस हजार चालीस) रु० मात्र

(Handwritten signature)

सरकार के संयुक्त सचिव

(Handwritten mark)

21(E)A

27-4-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01-01)	16891000	12897000	3994000
2	जीवन यापन भत्ता (01-03)	11317000	8640990	2676010
3	मकान किराया भत्ता (01-04)	3114000	1934550	1179450
4	परिवहन भत्ता (01-05)	410000	18500	391500
5	चिकित्सा भत्ता (01-06)	173000	90236	82764
6	अन्य भत्ता (01-07)	845000	154764	690236
	योग वेतन एवं भत्ते:-	32750000	23736040	9013960
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	100000	0	100000
8	यात्रा व्यय (11-01)	110000	55000	55000
9	कार्यालय व्यय (13-01)	240000	100000	140000
10	विधि प्रभार (13-05)	100000	11000	89000
11	वर्दी / पोषाक (13-06)	80000	40000	40000
12	किराया महसूल एवं कर (14-01)	100000	20000	80000
13	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	100000	50000	50000
14	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	100000	30000	70000
	कुल योग:-	33680000	24042040	9637960

(Handwritten mark)

सरकार के संयुक्त सचिव

(Handwritten signature)

2117300
27-4-12